4/25

PAGE NO.

DATE: / /

D.Y. Chougule Bharatesh High School Belagavi

D. Y. Chougule Bharatesh High School BELGAUM

Name of the student :- Jyoti P. Mutgekar
Class :- Xth "B"
Date :- 04-09-2015

Ist prize

-: Essay Writing Competition :-

-: हिंसा और मैं :-

पढ़नेवाले सभी को मेरा प्रणाम करूंगी।

हिंसा का अर्थ :-

"हिंसा" क्या है यह हिंसा ? हिंसा का मतलब क्या है ? किस पर होती है यह हिंसा ? यह सारे सवाल हमारे मन में कभी न कभी आते है। हिंसा का मतलब है :- किसी दुर्बल व्याक्ती पर अत्याचार करना इसे हम "हिंसा" कहते है। यह हिंसा सिर्फ और सिर्फ दुर्बल व्याक्ती उसमें भी माहिलाओं पर और छोटे बच्चों पर हिंसा होती है।

हिंसा में कुछ प्रकार है। वह है :-

* घरेलू हिंसा
* दहेज न देने पर हिंसा
* बाल्य विवाह
* बलात्कार
* आसीड़ फेंकना
* यौन हिंसा
* मानासेक अत्याचार
* शारीरिक अत्याचार
* सम्मान के आधार पर हिंसा
* बच्चों और माहिलाओं का जननेद्रीय अंगच्छेदन / जननांग को काटना और बेचना
* पुरुष अपने सुख के लिए माहिलाओं और लडकियों को अपनी वासना का शिकार बनाना, उनका पीछा करना।

यह सब हिंसा के कुछ प्रकार है। अक्सर हम अपनी आँखों से अपने चारों ओर देखते है, और चुप बैठते है। हम टी.वी. व सिनेमा में देखते है, समाचार पत्र में अक्सर पढ़ते रहते है की ज्यादतर हिंसाएँ महिलाओं और नाबालिक लड़कियों पर ही हिंसा होती है। हमें अंग्रेजों से आजादी (स्वतंत्रता) मिलकर 68 साल हो गये है। फिर भी महिलाओं पर ही पुरातन काल से अत्याचार हो रहे है और होते आ रहे है।

* घरेलू हिंसा :-

घरेलू हिंसा में पुरुष महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करता है। महिला यदि शादि के समय पुरुष (वर) और उनके घरवालों को दहेज न देने पर पुरुष महिला को शादि के बाद तंग करने लगता है। उसे शारीरिक और मानासिक रूप से अत्याचार करता है।
उदा :- महिला और बच्चों पर हात उठाना,
* उसे जलाना, आसेड फेंकना
* महिला को और बच्चों को खाना न देना
* और मानासिक रूप से हिंसा इत्यादि।

* समाज से हिंसा का शिकार बनना :-

यदि इक महिला या लडाकि किसी पुरुष के वासना का शिकार बनी तो समाज की नजरों में वह

महिला ही गिरती है। उस महिला को समाज में कोई स्थानमान नहीं रहता है। सब उसे गंदी नजर से देखते है, जब की गल्ती उस पुरुष कि ही होती है। समाज के लोग कहते है :- कि महिला ने ही पुरुष को उत्तेजीत किया होगा, सारी गल्ती उस महिला की ही होगी ऐसी भावनाएँ समाज में होती है। आप देख सकते है कि पुरुष चाहे कुछ भी करे उसे कोई कुछ नहीं बोलते है। उससे पुरुष और ज्यादा गुनाह करता है।

* छोटे बच्चों पर अत्याचार :-

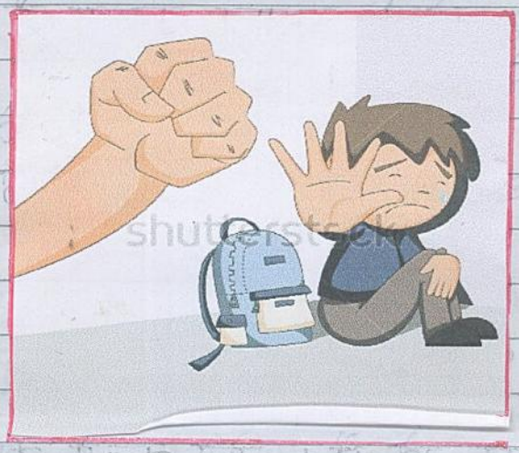

आप घर और स्कूल में छोटे बच्चों पर अत्याचार देख सकते है। घर में पिता छोटे बच्चों को मारते है, पीटते है, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार करते है। स्कूल में होमवर्क या और किसी कारण या द्वेष से कई शिक्षक बच्चों पर अत्याचार करते है। उदा. :- मारना-पीटना, डराना, रूम में बंद करके रखना और मानसिक रूप से अत्याचार करना। इससे वह बच्चे उन लोगों से डरते है, उनके पास जाने के नीम डरते है।

* वेषभूषा के कारण लड़कियों पर अत्याचार :-

यदि आप के घर आपका कोई छोटा भाई हो तो वह कितर भी घूम-फिर सकता है, कभी भी आ-जा सकता है। पुरूषों पर समय की कोई पाबंधि नहीं होती है। पर महिलाओं पर समय की पाबंधि होती है। माता-पिता अपनी बेटी से कहते है :- कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारा भाई एक लडका है। तुम कॉलेज के बाद घर आना, हमेशा घर में ही रहना, शाम 6:00 बजे के पहले घर में रहना आदि भावनाएँ माता-पिता के दिल में रहती है। समाज में एक धोरना है की जब कोई लडकी छोटे कपडे पहनती है, और उस पर कोई अत्याचार होतो समाज कहता है की :- लडकी होकर तुम इतने छोटे कपडे पहनती हो, इसलीए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, पहले तुम अपनी वेषभूषा बदलो, सही वक्त पर घर पहूँचो इत्यादि भावनाएँ समाज में है। जब की हमारा देश स्वतंत्र है।

* बच्चों तथा महिलाओं का जननेंद्रीय अंगच्छेदन :-

इन दिनों में हम रोज़ वार्ता पत्र में बच्चों के अपहरण की वार्ताएँ पढ रहे है। लोग बच्चो का अपहरण करके उन्हे बेच देते है, उनसे भीख मँगवाते है, उनके शारीरिक अंग उदा :- मूत्रजननकांग (किडनी), हृदय, आँखे इत्यादियों को काटकर, बेच देते है। कई लोग NGO के नाम पर यह घिनौना काम करते है। कई लोग सम्मान के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार करते है। महिलाओं से अनैतिक काम करवाना, उनको देश-विदेश में बेचना, महिलाओं का शारीरिक शोषण करना, उनके शारीरिक अंगों को काटना और बेचना इत्यादि सब रोज़ कई लडकीयों और महिलाओं के साथ होता है। कई लोग रोज़ इस दौर से गुजरते है।

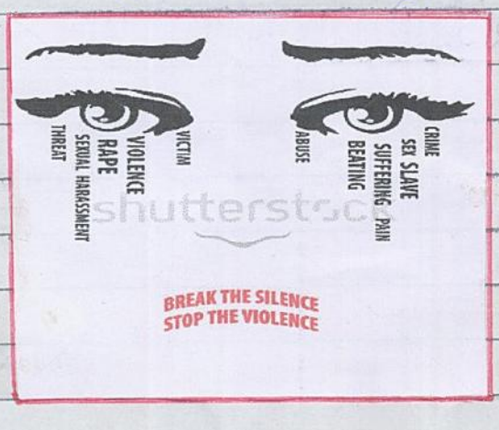

PAGE NO.
DATE : / /

* जबरन विवाह :-
जबरन विवाह तब होता है जब किसी का उसके इच्छा के विरुद्ध और उसकी अनुमति के बिना किसी के साथ विवाह कर दिया जाता है। जबरन विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें पति-पत्नि में से एक या दोनों विवाह के लिए सहमति नहीं देते हैं, या उनमें सहमति देने की क्षमता नहीं होती है और दबाव शामिल होता है। इसमें शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और भावनात्मक दबाव शामिल जबरन विवाह अरेंजड विवाह से बहुत अलग होता है। अरेंजड विवाह में, परिवार साथीयों को चुनने और परिचय करवाने में भूमिका अदा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में - ध्यान देनेवाली मुख्य बात होती है चुनाव - व्यक्तियों को हमेशा स्वतंत्र रूप से यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि उन्हें किस से विवाह करना या नहीं करना है। कुछ मामलों में, लोगों को इस जानकारी के बिना विदेश लेजाया जाता है कि उनका जबरन विवाह कर दिया जाएगा। यदि आपका या आपकी पहचान के किसी व्यक्ति का जबरन विवाह किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए।

* हिंसा के बाद महिलाओं का अगला कदम है :-

1) हिंसा के बाद तुरंत अपने घर के सदस्यों को / जिस पर आपका भरोसा हो जैसे कि अध्यापक को बताइए।

2) तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में हिंसा की रिपोर्ट कीजिए।

3) हिंसा से बचने के लिए कार्यवाई करें।

4) हिंसा से सुरक्षित रहें यदि आप कभी भी महसूस करें कि आपको तत्काल खतरा है, तो 999, 100 पर पुलिस को कॉल करें। पुलिस को कॉल करने में डरें नहीं।

5) कुछ मामलों में, विवाह के समय पर्याप्त दहेज न लाने के कारण महिलाओं का उत्पीड़न या उनके साथ दर व्यवहार भी किया जा सकता है, भले ही यह जबरन विवाह था या नहीं। किसी भी प्रकार का दर व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और आपको पुलीस और महिला संगठनों, विशेष रूप से BME (अश्वेत और जातीय अल्पसंख्यक) महिलाओं की सेवाओं से मदद लेनी चाहिए।

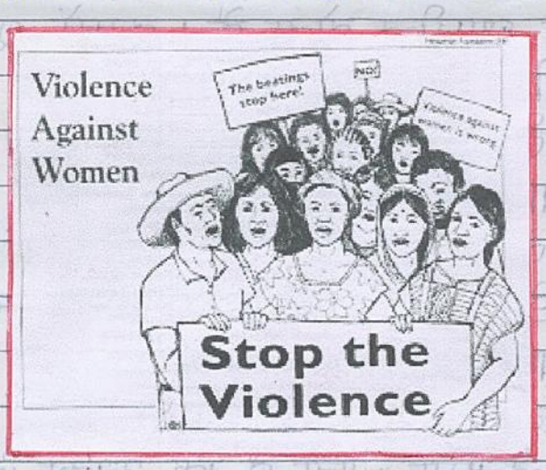

6) हिंसा के बली हुए महिलाओं के लीए सुरक्षा और अपराधी के लीए बहुत कायदे - कानून है। उनका उपयोग करना चाहिए।

उपसंहार :- ऊपर लीखे क्रमों को उठाने से हम महिलायों तथा लड़कियों पर होनेवाले हिंसा, अत्याचारों पर रोख लगा सकते है। इससे आनेवाले कल में महिला तथा लडकियाँ रात 12 बजे घूम-फिर सकती है। तब गांधीजी का रामराज्य का स्वप्न पूर्ण हो जाएगा।

:- धन्यवाद :-

—*—*—

Jyoti P. Mutgekar X^th "B"